

17/06/25

पञ्जावली पेश हुई। अभ्यपक्ष उपस्थित।  
प्रति. सं. 1 का जवाब दावा पेश. प्रति  
दिवासी। शांठकार किया। वादी द्वारा  
निवेदन किया कि वह suit से withdraw  
होना (with draw from suit) चाहते हैं।

"withdrawal of suit" and "with drawing from  
suit" दोनों ही सामान्यतः plaintiff द्वारा दापर  
किये गये law-suit को terminate करने का  
निर्णय है लेकिन दोनों शब्दों में कानूनी अंतर  
भी है। "withdraw of suit" की प्रक्रिया भा.सं.  
23 नियम 1 सीपीसी में दी गई है। when

a plaintiff withdraws a suit, he is essentially  
ending the legal proceedings with no intention  
of re-filing the same case for the same  
cause of action. withdraw of suit is a  
complete termination and plaintiff is not allowed  
to file a fresh suit for the same cause  
of action.

withdrawing from a suit means a  
plaintiff can withdraw from a suit with court's  
permission to file a fresh suit on the same  
subject matter [under order 23 Rule 1(3)cp.]  
that means temporarily ending the case with  
the possibility of re-filing it later.

अभ्यपक्ष निवेदन के आगे पर वादी  
का निवेदन स्वीकार किया जाता है। वादी को  
वह से पीछे हटने से प्रस्ताव के अनुसार  
दोहरा नंबर से काम होकर दाखिल करवाते

*[Signature]*  
उपस्थित अधिकारी

withdrawal  
from suit  
17/6/25

Reader  
Report as per  
1.0.0.0

